

ए. प्रशासन

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक :

आदेश

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/7/97-स्थापना (एल), दिनांक 07.10.1997 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/4/2009-स्थापना (एल), दिनांक 03.06.2009 के प्रावधान 3 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मंत्रालय के श्री/श्रीमती/सुश्री..... पदनाम को ब्लॉक वर्ष के दौरान अवकाश यात्रा रियायत/ होमटाउन के स्थान पर जाने के लिए दिनों के अर्जित अवकाश के लिए अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के भुगतान की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि कुल अवकाश नकदीकरण का जोड़ 60 दिनों से अधिक नहीं होता है।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उनके पास न्यूनतम 30 दिनों का शेष अर्जित अवकाश है।

(अनूप पंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

1. श्री/श्रीमती/सुश्री, पदनाम
2. वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय
3. रोकड़ अनुभाग (एक अतिरिक्त प्रति सहित)
4. आदेश बंडल